

इसके भी इस तरह की डिमांड होती है कि कितना और समय निकाला जाय। मैंने डेफिनिटली कहा है और वादा किया है कि अगली बार जरूर लायेंगे। आठ बरस से कमिशन की रिपोर्ट किमी न किसी तरह से पेश है। अगर आठ बरस आप ठहर सकते हैं तो दो चार हफ्ते और ठहरने में क्या दिक्कत है। मैंने एक वादा कर लिया है। इससे अधिक वादा मैं नहीं कर सकता। बजट सेशन में जरूर इसका ले लिया जायगा।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखा-वाद) : यह रिपोर्ट पड़ी हुई है, विश्वविद्यालय अनुदान कमिशन की रिपोर्ट रह गई है। और भी कई चीजें अभी बाकी हैं। माननीय मंत्री जी इंग्लिस्तान की लोक सभा का जिक्र करते हैं। वहां दस या ग्यारह महीने संसद बैठती है। तब यहां क्यों न हम लोग ज्यादा वक्त बैठें अगर कानून पास करवाने हैं तो।

श्री हरि विश्वु काम्थ : २० तारीख तक बैठेंगे या वादा भी बैठेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी तो यही तय है कि बीस तक बैठेंगे अगर कोई ऐसी अनफोरसीन बात न हो जाय कि और बैठने पर हम सजबूर ही न हो जायें।

एक माननीय सदस्य : पक्की बात नहीं है।

श्री सत्य नारायण सिंह : पक्की कोई भी बात कैसे कही जा सकती है। मान लीजिये किसी की डैथ हो जाती है या कुछ और घटना घट जाती है और उस सूरत में हो सकता है कि एक रोज़ और बढ़ जायें। कोई अनफोरसीन बात हो जाय, तो उसका क्या किया जा सकता है।

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order. I find that in every

session, they do not give us any decision about the ending of the session till two or three days earlier. We have requested you time and again to see to it that, to make it convenient to all the Members, for the entire House, at least ten days before the session it should be made known when the session is going to conclude. Today is the 9th, and for the 20th there are only ten days more to go.

Mr. Speaker: At least a week before the session concludes, the Members should know.

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): So far as we are concerned, the session is to conclude on the 20th, but he has added that if some emergency arises, if anything unforeseen happens, it is a different matter, and it might go on for another day or so.

12.58 hrs.

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL*

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): On behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Delhi Development Act, 1957. (Laughter).

Mr. Speaker: He is her Deputy. Why should there be a surprise when he acts on her behalf?

डा० राम मनोहर लोहिया : आप क्यों हंस पड़े ?

अध्यक्ष : मैं आपको देखकर हंस पड़ा।

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Development Act, 1957".

The motion was adopted.

Dr. D. S. Raju: I introduce the Bill.